राजस्व वाद संख्या:– 587 / 2013
संतोष देवी बनाम बिहारी लाल वगै0
निर्णय दिनांक:–30/5/2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :– सुमन देवी II, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.–587 / 2013

1. श्रीमती संतोष देवी पत्नी पूर्णमल निवासी सतनाली तहसील महेन्द्रगढ जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।

– वादीगण

बनाम

1. बिहारी लाल पुत्र बलुराम जाति पुरोहित निवासी भापर तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनूं राज0।
2. कैलाश चन्द्र पारिक पुत्र बिहारी लाल जाति पुरोहित निवासी भापर तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनूं राज0।
3. बाबूलाल पारिक पुत्र बिहारी लाल निवासी सतनाली तहसील महेन्द्रगढ जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।
4. रामदुलारी पत्नी बाबूलाल पारिक निवासी सतनाली तहसील महेन्द्रगढ जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।
5. मणी देवी पत्नी बिहारी लाल जाति पुरोहित निवासी भापर तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनूं राज0।
6. राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राजस्थान।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

:: निर्णय ::

दिनांक –30/5/2025

वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि–

(क) भूमी खसरा नं. 80 रकबा 23 बीघा 9 बिश्वा हाल खसरा नं. 123 रकबा 5.94 है0 व तत्पश्चात बने खसरा नं. 126 / 1 रकबा 3.90 है0 व खसरा नं. 2.04 है0 स्थित मौजा

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

ग्राम भापर तहसील चिड़ावा वादी व प्रतिवादी नं. 1 लगायत 3 की पैत्रिक संयुक्त खातेदारी काष्त की भूमि होना घोषित किया जाना फरमाया जावे।

(ख) यह कि उपरोक्त भूमि हाल खसरा नम्बर 126/1 व 126/2 का खाता विभाजन बाईमिट्स व बाई बाउण्डस वादी वप्रतिवादी नं. 1 लगायत 3 के मध्य उपराक्तानुसार विभाजित किया जाना फरमाया जावे व लगान भी अलग अलग कायम किया जाना फरमाया जावे।

(ग) यह कि प्रतिवादी नं. 1 लगायात 4 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे व उक्त भूमि खसरा नम्बर 126/1 व 126/2 मौजा ग्राम भापर को विक्रय व हस्तान्तरित न करे व किसी के रहन नहीं रखें तथा भूमि को वेस्ट व डेमेज नहीं करे तथा वादीया के 1/4 हिस्से के कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा कारीत न करे।

(घ) वादिया वैकल्पिक रू‍प से यह भी सिद्वि चाहती है कि यदि विवदित भूमि में प्रतिवादी नं. 1 लगायत 3 व 5 को 1/5–1/5 हिस्से के संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर बाई मिटस व बाई बाउण्डस विभाजन किया जाना फरमाया जावे।

(ग) खर्चा मुकदमा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 से दिलवाया जाना फरमाया जावे।

(घ) यह कि अन्य सिद्वि वादीगण के हक में हो तथा किसी कारणवष भूल से चाही जाने से रह गई हो वह भी धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व आदेश 7 नियम 7 जाब्ता दीवानी के तहत दिलवाई जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तामील जरिये रजिस्ट्रर्ड सम्मन जारी की गयी। प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 5 की ओर से एड0 विजय पाल ने वकालत नामा व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख प्रमाणित प्रतिलिपि नक्शा सीट हाल, सत्यप्रतिलिपी विक्रय पत्र दिनांक 24.4.2006, सत्यप्रतिलिपी विक्रय पत्र दिनांक 3.08.1989 सत्यप्रतिलिपी नामान्तरण संख्या 14, सत्यप्रलिपी नामान्तरण संख्या 117, सत्यप्रतिलिपी जमाबन्दी संवत 2017 से 2020 तक, सत्यप्रतिलिपी जमाबन्दी संवत 2021, सत्यप्रतिलिपी जमाबन्दी संवत 2054 से 2057 तक, सत्यप्रतिलिपी जमाबन्दी संवत 2050 से 2053 तक, , सत्यप्रतिलिपी जमाबन्दी संवत 2062 से 2065 तक, सत्यप्रतिलिपी जमाबन्दी संवत 2029 से 2032 तक, सत्यप्रतिलिपी जमाबन्दी संवत 2062 से 2065 तक, सत्यप्रतिलिपी नामान्तरण संख्या 317, सत्यप्रतिलिपी मिलान क्षेत्रफल, सत्यप्रतिलिपी मिसल हैकियत 2044 से 2063 तक, सत्यप्रतिलिपी जमाबंदी संवत 2012, सत्यप्रतिलिपी जमाबंदी संवत 2013, सत्यप्रतिलिपी जमाबंदी संवत 2017, सत्यप्रतिलिपी जमाबंदी संवत 2021 से 2024 तक, सत्यप्रतिलिपी जमाबंदी संवत 2025 से 2028 तक।

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

राजस्व वाद संख्याः– 587/2013
संतोष देवी बनाम बिहारी लाल वगै0
निर्णय दिनांकः–30/5/2025

बहस सुनी गई।

वादी वकील ने बहस में बताया की मौजा ग्राम भापर मे स्थित भूमि गत खसरा नम्बर 800 रकबा 23 बीघा 9 बिश्वा का खातेदार काश्तकार बालू पुत्र हरदेवा ब्राहमण ने उक्त भूमि ठाकुर इन्द्र सिंह ठिकाना मण्डावा से लगान पर प्राप्त की थी तथा उक्त भूमि उक्त बाबू पुत्र हरदेवा की स्वयं अर्जित सम्पति थी । बालू पुत्र हरदेवा का स्वर्गवास आज से करीब 40 वर्ष पहले ग्राम भापर में हो गया था।

यह कि उक्त बालुराम के स्वर्गवास के बाद उक्त भूमि विरासत में बिहारी लाल को प्राप्त हुई परन्तु भूमि पैत्रिक होने के कारण उक्त कैलाश व बाबूलाल का हिस्सा बिहारी लाल के बराबर ही उनके जन्म से हि विवादित भूमि मे रहा है तथा है हिन्दू उतराधिकार अधिनियम शोधित के अनुसार पुत्रीयां भी संयुक्त हिन्दु परिवार की को पार्टनर होती है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुसार पैत्रिक संपति में जन्म से ही अधिकार प्राप्त हो जाते है। इसलिये वादीया को भी विवादित भूमि गत खसरा नम्बर 80 मौजा ग्राम भापर में बिहारी लाल, कैलाश चन्द्र व बाबूलाल के बराबर अधिकार प्राप्त है। तथा उपरोक्त प्रकार से विवादित भूमि में 1/4 हिस्सा वादीया का, 1/4 हिस्सा प्रतिवादी नं।, 1/4 –1/4 प्रतिवादी नं. 2 व 3 का है और कानूनन वादीया उक्त भूमि के 1/4 हिस्से की खातेदार काश्तकार है तथा कब्जा वादीया व प्रतिवादीगण नं। लगायत 3 का संयूक्त रूप से है।

यह कि वादीया व प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 का संयुक्त हिन्दू परिवार रहा है तथा प्रतिवादी नं. 1 बिहारी लाल उक्त बालुराम का एक मात्र पुत्र होने के कारण विवादित भूमि राजस्व हक रिकोर्ड मे अकेले प्रतिवादी नं. । के नाम से दर्ज हुई है।

यह कि प्रतिवादी नं. 1 लगायत ने आपस मे साज कर रखी है तथा वे वादीया के विवादित भूमि में उसके हक हिस्से से वंचित करने के लिये प्रतिवादी सं । ने दिनांक 03–08–1989 को एक साजसी विक्रय पत्र प्रतिवादी नं. 2 कैलाश चन्द के हक में लिखा कर पुल भूमि 5.94 हैक्टर मे से 2.04 हैक्टर का साजसी विकय पत्र सब रजिस्ट्रार चिड़ावा से तस्दीक करवा दिया।

यह कि भूमि गत खसरा नं. 80 रकबा 23 बीघा 9 बिष्वा के हाल खसरा नं. 126 रकबा 5.94 है0 कायम हुये है तथा प्रतिवादी नं. 1 द्वारा प्रतिवादी नं. 2 के हक में करवाये गये उक्त साजसी विक्रय पत्र के बाद भूमि खसरा नम्बर 126/1 व 126/2 कायम हुये है उक्त साजसी विक्रय पत्र के आधार पर हाल खसरा नं. 126/2 रकबा 2.04 है. प्रतिवादी नं. 2 के नाम राजस्व रिकोर्ड में अलग से दर्ज किया गया है तथा खसरा नं. 126/1 रकबा 3.90 है0 प्रतिवादी नं. 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रहा है।

यह कि उक्त. विक्रय पत्र दिनांक 03.08.89 के बाद प्रतिवादी नं. 1 के नाम से जो भूमि खसरा नं. 126/1 रकबा 3.90 है0 दर्ज रही है। उसमें से भी प्रतिवादी नं. 1 ने वादीया को उसके हक से वंचित करने के लिये दिनांक 24.04.2006 को खसरा नं. 126/1 में से 2.97 है. का विक्रय पत्र साज पूर्वक प्रतिवादी नं. 4 के हक में लिखवा कर उसे उसी रोज उपपंजीयक सूरजगढ़ के यहां तसदीक करवा दिया प्रतिवाद नं.4 प्रतिवादी नं. 3 की पत्नी है इससे भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी नं. 1 लगायत 4 ने साजकर के ही उक्त विक्रय पत्र दिनांक 24.04.2006 तसदीक करवाया है।

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

राजस्व वाद संख्या:- 587/2013
संतोष देवी बनाम बिहारी लाल वगै0
निर्णय दिनांक:-30/5/2025.........

वादिया के वादपत्र एवं प्रतिवादी 2 लगायत 4 के जवाबदावा एवं वादिया के बहसका अवलोकन किया गया। वादिया ने अपने वादपत्र में कायम किया कि विवादग्रस्त भूमि वादिया के दादा बालूराम की स्व अर्जित सम्पति है। वादिया के दादा बालूराम की स्वअर्जित सम्पति होने से उस भूमि में वादिया का कोई हक हिस्सा नहीं बनता है।

वादिया ने अपने वादपत्र एवं बहस में बताया कि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत वादिया का जन्म से हक हैं। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 2005 में पुत्रियों को उस सम्पति से हक अधिकार नहीं है। जिस सम्पति का 2005 से पूर्व विभाजन, दान, विक्रय पत्र किया जा चुका हो। उक्त विविदग्रस्त भूमि में सन 1989 में वादिया के पिता बिहारीलाल ने विक्रय कर दिया था।

इससे स्पस्ट होता है कि वादिया अपना वादपत्र साबित नहीं कर सकी अतः उक्त वादपत्र को खारिज किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

-:: आदेश::-

वादिया ने अपने वादपत्र में कायम किया कि विवादग्रस्त भूमि वादिया के दादा बालूराम की स्व अर्जित सम्पति है। वादिया के दादा बालूराम की स्वअर्जित सम्पति होने से उस भूमि में वादिया का कोई हक हिस्सा नहीं बनता है।

वादिया ने अपने वादपत्र एवं बहस में बताया कि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहतवादिया का जन्म से हक है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 2005 में पुत्रियों को उस सम्पति से हक अधिकार नहीं है। जिस सम्पति का 2005 से पूर्व विभाजन, दान, विक्रय पत्र किया जा चुका हो। उक्त विविदग्रस्त भूमि में सन 1989 में वादिया के पिता बिहारीलाल ने विक्रय कर दिया था।

इससे स्पष्ट होता है कि वादिया अपना वादपत्र साबित नहीं कर सकी अतः उक्त वादपत्र को खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफतर हो।

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी,
पदेन उप जिला कलेक्टर,
सूरजगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

यह निर्णय आज दिनांक 30/5/2025.... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी,
पदेन उप जिला कलेक्टर,
सूरजगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़